(2018) 13 एस. सी. आर. 587

केरला राज्य

बनाम

राशिद

क्रिमिनल अपील संख्या–1321/2018

30 अक्टुबर, 2018

(अभय मनोहर सप्रे एवं इन्दु मल्होत्रा, जे. जे.)

निर्णय

इन्दु मल्होत्रा, जे.

अनुमति दी गई।

1. वर्तमान आपराधिक अपील विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 4652/2018 से उत्पन्न हुई है। जिसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामले संख्या 171/2018 में पारित आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2018 को चुनौती दी गई है।

2. वर्तमान आपराधिक अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में नीचे दिए गए है:

2.1 परिवादी साक्षी संख्या 1 नारायणन के कहने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') की धारा 154 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस को उनके द्वारा प्रदान किए गए मूल बयान के अनुसार, कृष्णप्रसाद, जो इमारत के एक फलैट में रहने वाले थे, जहॉ परिवादी साक्षी संख्या 1 नारायणन एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे, ने एक एम्बुलेंस को बुलाया था। इसके बाद कृष्णप्रसाद ने अन्य लोगो के साथ मिलकर एक बेहोश व्यक्ति को फलैट के बाथरूम से बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। बाद में बेहोश व्यक्ति की पहचान सतीसन के रूप में हुई, जिसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। परिवादी साक्षी संख्या 1 नारायणन ने तब बयान दिया कि कृष्णप्रसाद दो महीने से फ़्लैट में रह रहा था, और प्रतिवादी आरोपी नंबर 2, रशीद का साथी था। यह आरोप लगाया गया था कि फ़्लैट प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा किराए पर लिया गया था।

2.2. 24 मई 2016 को पुलिस ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्टेट कोर्ट प्प्ए त्रिशूर के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र धारा 302, 343, 212, 201, 202, 118 एवं 109 के साथ पठित धारा

120 बी और 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत कथित अपराध के लिए प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया। यह आरोप लगाया गया था कि मृतक सतीसन ने अपनी प्रेमिका, परिवादी साक्षी संख्या5 अजीता को किराए के फलैट के अंदर होने वाली गतिविधियों और प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3 शाश्वती के बीच अवैध संबंधों के बारे में जानकारी दी थी। इस बारे में जानने पर आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर सतीसन को कैद में लिया, उसे प्रताड़ित किया और आपराधिक इरादे से उसकी हत्या कर दी।

2.3. त्रिशुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए गए।

परिवादी साक्षी संख्या 1 से 5 को 16 दिसंबर, 2017 को अभियोजन गवाह के रूप में बुलाया गया था। उसी दिन, परिवादी साक्षी संख्या 1 नारायणन की परीक्षा के बाद, सीआरपीसी की धारा 231(2) के तहत एक आवेदन दिया गया। प्रतिवादी अभियुक्त नंबर 2 के वकील द्वारा परिवादी साक्षी संख्या 1 नारायणन के साथ–साथ परिवादी साक्षी संख्या 2 से 5 की जिरह को परिवादी साक्षी संख्या 2 से 5 की मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद की तारीख तक स्थगित करने की मांग करते हुए वकील द्वारा दायर किया गया था। उक्त आवेदन में कहा गया था कि यदि आवेदन की अनुमति नहीं दी गई तो प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा अपनाई गई बचाव रणनीति अभियोजन पक्ष के सामने आ जाएगी।

2.4 अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत आवेदन का विरोध किया और एक जवाब दाखिल किया, जिसमें यह कहा गया कि परिवादी साक्षी संख्या 1 से 5 उसी विषय वस्तु के संबंध में गवाही नहीं दे रहे थे। आगे कहा गया कि जिरह को स्थगित करने से अभियोजन साक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

2.5 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 20 दिसंबर, 2017 के आदेश के तहत प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 231(2) विचारण न्यायाधीश को किसी भी गवाह के जिरह को तब तक स्थगित करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच नहीं हो जाती। सीआरपीसी की धारा 231 (2) अभियुक्त को इस आधार पर सामुहिक रूप से स्थगन की मांग करने का अधिकार नहीं देता है कि अभियुक्त का बचाव अभियोजन को ज्ञात हो जायेगा। वर्तमान मामले में जिरह को स्थगित करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सामान्य प्रावधानों के विपरीत होगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि इस मामले में जिरह को स्थगित करने से उन गवाहों की याददाश्त खोने की संभावना बढ़ सकती है, जिनकी पहले ही मुख्य परीक्षण की जा चुकी है, जो अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह भी देखा कि प्रतिवादी अभियुक्त नंबर 2 की ओर से जिरह को

स्थगित करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है, सिवाय एक सामान्य दावे के कि बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष को बताया जाएगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का विचार था कि प्रतिवादी आरोपी नम्बर 2 और आरोपी नंबर 7 अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं, और उनके मुख्य परीक्षण के बाद गवाहों को धमकियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया कि परिवादी साक्षी संख्या 1 से 5 मामले के विभन्न तथ्यों और पहलुओं पर गवाही देंगे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 231 (2) और 309 के प्रावधानों को यान में रखते हुए यह माना कि आपराधिक मुकदमे में जिरह को स्थगित करना कोई सामान्य प्रथा नहीं है, और प्रतिवादी अभियुक्त नंबर 2 की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

2.6 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 20 दिसंबर, 2017 के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध मामला संख्या 171/2018 दायर किया।

उच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 2018 को एक संक्षिप्त, अनुचित, अप्रकट आदेश द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया, और आपराधिक विविध मामला संख्या 171/2018 को स्वीकृति दी। यह निर्देश दिया गया कि परिवादी साक्षी संख्या 1 से 4 की जिरह को परिवादी साक्षी संख्या 5 के मुख्य परीक्षण के बाद तक स्थगित कर दिया जाए।

2.7 उच्च न्यायालय द्वारा पारित 1 जनवरी, 2018 के आदेश से व्यथित होकर केरल राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष अनुमति याचिका(सीआरएल)संख्या 4652/2018 दायर की है।

3. वर्तमान आपराधिक अपील मे विचार के लिए जो कानूनी मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया विवेक का प्रयोग बैध और कानूनी रूप से टिकाउ था ?

4. गवाहों की पेशी और जांच के क्रम को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 135 और 138 मे निहित है। धारा 135 एवं 138 का संयुक्त वाचन यह संकेत देगा कि किसी भी मुकदमे मे सामान्य अभ्यास, चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी, किसी गवाह की मुख्य परीक्षा पहले की जानी चाहिए, उसके बाद उसकी जिरह (यदि विरोधी पक्ष ऐसा चाहता है), और उसके बाद पुनः परीक्षण (यदि गवाह को बुलाने वाला पक्ष ऐसा चाहता है)।

5. सीआरपीसी की धारा 231 इंगित करना है कि न्यायाधीश को किसी गवाह की जिरह को तब तक स्थगित करने का विवेक दिया गया है, जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की परीक्षण नहीं हो जाती। धारा 231 यहाँ नीचे दी गई हैः

231 अभियोजन के लिए साक्ष्यः–(1) ऐसे निर्धारित तिथि पर, न्यायाधीश अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) न्यायाधीश, अपने विवेक से, किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए जब तक की किसी अन्य गवाह या गवाहों का परीक्षण न कर लि जाय/आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है।

(जोर दिया गया)

धारा 231(2) की शब्दावली सीआरपीसी की धारा 242(3) को प्रतिबिंबित करती है, जो सीआरपीसी के अध्याय–उन्नीस के तहत वारंट मामले की सुनवाई में दण्डाधिकारी को समान विवेक प्रदान करता है।

6. धारा 242(3) निरस्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 251ए(7) के अनुरूप है और समान शब्दों में है। धारा 251ए को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 26) के तहत पूर्ववर्ती आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 में शामिल किया गया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता(संशोधन) अधिनियम, 1955 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण अन्य बातों के साथ–साथ सुझाव देता है कि वारंट मामलों में प्रक्रिया को सरल बनाने, आपराधिक न्यायिक व्यवसाय का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने, गवाहों को होने वाली असुविधा को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत में उपस्थित गवाहों की जांच के बिना किसी अपरिहार्य कारण को छोड़कर स्थगन की अनुमति नहीं है, परिवर्तन पेश किए गए थे।

शमून अहमद सईद और अन्य बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2009 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1215: आईएल आर 2008 कर्नाटक 4378 के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय शांतानागौदर जे. द्वारा पाया गया कि सीआरपीसी की धारा 231(2) एवं धारा 242(3) को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 251ए के अधिनियमन के पीछे विधायी इरादे के प्रकाश में व्याख्या की जानी चाहिए।

7. चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138 के अनुसार, पहले गवाहों की मुख्य परीक्षण की जाती है, उसके बाद जिरह की जाती है, और यदि आवश्यक हो तो पुनः परीक्षा की जाती है।

सीआरपीसी की धारा 231(2), हालांकि न्यायाधीश को किसी भी गवाह की जिरह को तब तक स्थगित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों का परीक्षण नहीं हो जाती है, या उचित मामलों में किसी भी गवाह को आगे की जिरह के लिए वापस बुला लेती है। उचित रूप से पूर्वानुमानित परिणामों के प्रति सचेत रहते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग वैधानिक ढांचे और संदर्भ के अनुरूप किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 231(2) के तहत स्थगन की मांग करने वाला पक्षकार को न्यायाधीश द्वारा विवेक का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त कारण देने चाहिए, और स्थगन को अधिकार के

मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

कई उच्च न्यायालयों ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 231(2) के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग केवल ''असाधारण परिस्थितियों'' (सिसिर देबनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य सीआरआर नम्बर 2533/2017 आदेश दिनांक 02.08.2017, शमून अहमद सईद और अन्य बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2009 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1215: आईएल आर 2008 कर्नाटक 4378) में या ''जब एक बहुत मजबूत मामला बनाया गया हो'' (अमित कुमार साव एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य सीआरआर नम्बर 3846/2009 आदेश दिनांक 23.06.2010) में किया चाहिए। हालाँकि वैधानिक योजना के अनुसार गवाहों की पेशी और परीक्षण का क्रम तय करना पक्षकारों पर निर्भर है। एक न्यायाधीश के पास मानक से विचलन के लिए पर्याप्त कारण बताये जाने पर सीआरपीसी की धारा 231(2) के तहत विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।

8. जिन परिस्थितियों में उच्च न्यायालयों ने जिरह को स्थगित करने के लिए विवेक के प्रयोग को मंजूरी दी है, ताकि रणनीति के प्रकटीकरण के कारण पूर्वाग्रह से बचा जा सके:

- जहाँ गवाह एक–दूसरे से संबंधित थे, और उन्हें एक ही विषय–वस्तु और तथ्यों पर गवाही देनी थी, (श्री शंकर बनाम राज्य द्वारा हेब्बागोढ़ी थाना, क्रिमिनल पी0 संख्या 8774/2017 आदेश दिनांक 07.10.2017, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलुरू, मशिउर रहमान मोल्ला एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, सीआरआर नम्बर 2411/2016 आदेश दिनांक 10.08.2016, कलकता उच्च न्यायालय, जयकर बनाम राज्य द्वारा फ्रेजर टाउन पुलिस, आईएलआर 1996 कर्नाटक 2783)
- जहाँ गवाहों को तथ्यों के एक ही सेट के बारे में गवाही देनी थी, (आर शिलवन बनाम राज्य क्रिमिनल आरसी (एमडी) संख्या 744/2016, आदेश दिनांक 24.01.2017 द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरई: 2017 (2) क्राईम्स 509 (मद्रास))
- हालाँकि, जिन परिस्थितियों में स्थगन से इन्कार किया गया है वे है:
- जहाँ स्थगन का आधार केवल गवाहों के बीच संबंध का अस्तित्व था। (सिसिर देबनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य सीआरआर नम्बर 2533/2017 आदेश दिनांक 02.08.2017)
- जहाँ दावे के समर्थन में विशिष्ट कारण नहीं दिए गए थे कि रक्षा रणनीति का खुलासा होने से पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा। (प्रदीप कुमार कोल्हे बनाम मध्यप्रदेश राज्य एम सीआरसी नम्बर–20240/2018 आदेश दिनांक 11.07.2018, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर, महाराष्ट राज्य बनाम राजाराम अपन्ना माने एवं अन्य, क्रिमिनल रिट पीटिशन संख्या–578/2016

एवं क्रिमिनल आवेदन संख्या–2485/2016, आदेश दिनांक 23.01.2017 द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद, अमित कुमार साव एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, सीआरआर संख्या–3846/2009, आदेश दिनांक 23.06.2010 द्वारा कलकता उच्च न्यायालय, एम0 डी0 संजोय एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2000 क्रिमिनल लॉ जर्नल 208)

- जहाँ कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न न हुआ हो। (लालु आलम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य क्रिमिनल रिविजन नम्बर 385/1996 आदेश दिनांक 12.06.2002)

9. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विजय कुमार बनाम राज्य (एनीसीटी दिल्ली सरकार) में आपराधिक मुकदमों के संचालन के लिए उपयोगी निर्देश दिए। निर्देश सराहनीय हैं, और प्रासंगिक अंश यहाँ नीचे दिए गए हैः

''42...(vi) चूंकि कानून की अपेक्षा यह है कि मुकदमा, एक बार शुरू होने के बाद, शुरू होने के दिन से समाप्त होने तक जारी रहेगा, यह वांछनीय है कि साक्ष्य (विशेष रूप से अभियोजन पक्ष) की रिकॉर्डिंग के लिए आवश्यक संभावित समय को ध्यान में रखते हुए, एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए। सुनवाई की तारीखें जिस पर साक्ष्य दर्ज किए जाएँगे, आरोप तय होने के तुरंत बाद तैयार की जाती है–इसमें न केवल अदालत के कैलेन्डर को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समय भी शामिल होता तथा बचाव पक्ष के वकील की सुविधा भी। एक बार ऐसा कार्यक्रम तैयार हो जाने के बाद, सभी पक्ष इसका ईमानदारी से पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(vii) अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य दर्ज करने की तारीखों की अनुसूची तैयार करते समय, जैसा कि उपर बताया गया है, पीठासीन न्यायाधीश अभियोजन पक्ष से सलाह लेगा कि समान तथ्यों से संबंधित गवाहों को जोड़ते हुए या तारीखों के एक ही सेट के लिए वह किस क्रम में अपने गवाहों का परीक्षण करना चाहता है।

(viii) यदि बचाव पक्ष धारा 231(2) या धारा 242(3) सीआरपीसी के संदर्भ में विशेष गवाहों की जिरह को स्थगित करने के लिए आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का इरादा रखता है तब इसे तारीखों की अनुसूची निर्धारित करने के चरण में पीठासीन न्यायाधीश को सूचित करना चाहिए ताकि जिस क्रम में गवाहों को बुलाया जाना है उचित रूप से निर्धारित किया जा सके, जिससे जिरह (जब आवश्यक हो) के लिए संक्षिप्त स्थगन की सुविधा हो ताकि साक्ष्य का रिकॉर्डिंग दिन पर दिन जारी रहे तथा बिना किसी बाधा के लंबे समय तक स्थगन से बचा रहे, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि गवाहों को अनुचित रूप से प्रभावित करने या डराने–धमकाने के लिए इसका दुरूपयोग किया जाता है।

(ix) आपराधिक अदालत के पीठासीन न्यायाधीश का यह परम कर्तव्य है कि यदि स्थिति की मांग हो तो गवाहों को अनुचित प्रभाव या डराने वाली रणनीति या उत्पीड़न से बचाने के लिए उचित उपाय करें। यदि अदालत ने धारा 231(2), या 242(3) सीआरपीसी के संदर्भ में स्थगन की अनुमति दी है किसी विशेष

गवाह से जिरह के लिए, इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसी जिरह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय या बहुत दूर की तारीख निर्धारित की जाय। अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि जिस गवाह से इस तरह की प्रक्रिया से पहले पूछताछ की प्रार्थना की गई है उसके तुरंत बाद स्थगित जिरह तत्कालीन चल रहे कार्यक्रम में की जाए।

10. सीआरपीसी की धारा 231(2) के तहत न्यायिक विवेकाधीन आदान–प्रदान करने वाला कोई निश्चित फॉमूला नहीं हो सकता है जिसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। विवेक का प्रयोग प्रस्तुत वाद/काण्ड के आधार पर होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत एक न्यायाधीश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो क्या स्थगन चाहने वाले पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

11. सीआरपीसी की धारा 231(2) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, आरोपी के अधिकारों और अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करने के विशेषाधिकार के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।

निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

- गवाहों पर अनुचित प्रभाव की संभावना,
- गवाहों को धमकियों की संभावना,
- संभावना है कि गैर स्थगन बाद के गवाहों को रक्षा रणनीति को दरकिनार करने के लिए अपनी गवाही को अनुकूलित करने के लिए समान तथ्यों पर साक्ष्य देने में सक्षम करेगा।
- उन गवाहों की याददाश्त खोने की संभावना जिनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है
- सीआरपीसी की धारा 309(1) के मद्देजनर, मुकदमे में देरी की घटना, और गवाहों की अनुपलब्धता, यदि स्थगन की अनुमति दी जाती है। (विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, (2015) 3 एससीसी 220 एवं लेफ्टिनेन्ट कर्नल एस जे चैधरी बनाम राज्य (दिल्ली एडमिनिस्टेशन), (1984) 1 एससीसी 722)

ये कारक सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत एक न्यायाधीश द्वारा विवेक के प्रयोग को निर्देशित करने के लिए उदाहरण हैं।

12. जहाँ तक संभव हो आपराधिक मुकदमें के संचालन में विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभ्यास दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिएः

i. आरोप तय होने के बाद मुकदमे की शुरूआत में एक विस्तृत केस कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए।

ii. केस कैलेंडर में उन तारीखों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिन पर गवाहों की मुख्य परीक्षा और जिरह (यदि आवश्यक हो) आयोजित की जानी है।

iii. केस कैलेंडर में पक्षों द्वारा गवाहों को पेश करने के प्रस्तावित क्रम, गवाहों की परीक्षण के लिए आवश्यक

अपेक्षित समय, प्रासंगिक समय पर गवाहों की उपलब्धता और जहां तक संभव हो अभियोजन और बचाव दोनों की सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए,

iv. एक ही विषय पर गवाही देने वाले गवाहों की गवाही तत्काल निर्धारित की जानी चाहिए,

v. सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत स्थगन का अनुराध। अधिनिमानतः केस कैलेंडर की तैयारी से पहले बनाया जाना चाहिए,

vi. स्थगन के अनुरोध के लिए अनुदान प्रत्येक गवाह, या गवाहों के समूह की जिरह को स्थगित करने को उचित ठहराने वाले पर्याप्त कारणों पर आधारित होना चाहिए।

vii. किसी भी गवाह से जिरह को स्थगित करने का अनुरोध स्वीकार करते समय, विचारणीय न्यायालय को उस गवाह से जिरह के लिए एक निकटतम तारीख निर्दिष्ट करनी चाहिए, जिसके लिए प्रार्थना की गई है।

viii. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए केस कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि उससे अलग होना बिल्कुल आवश्यक न हो जाय।

ix. ऐसे मामलों में जहाँ विचाराधीन न्यायालय ने स्थगन का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, गवाहों को अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न या धमकी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

13. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 के वकील द्वारा स्पष्ट दावा किया गया था कि यदि परिवादी साक्षी संख्या 1 से 5 की जिरह को परिवादी साक्षी संख्या 2 से 5 के मुख्य परीक्षण के बाद तक स्थगित नहीं किया गया, तो प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 के रक्षा पूर्वाग्रहपूर्ण होगी।

आपेक्षित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को पलटने के लिए कोई कारण नहीं बताया है, विशेष रूप से गवाहों को अनुचित रूप से प्रभावित करने और डराने–धमकाने की संभावना के आलोक में। प्रतिवादी आरोपी संख्या 2 और आरोपी संख्या 7 ''अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक नेता'' हैं।

14. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान आपराधिक अपील को स्वीकृत किया जाता है, और आपराधिक विविध मामले संख्या 171/2018 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 जनवरी, 2018 के आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 2 की ओर से दायर आवेदन को खारिज करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 20 दिसंबर, 2017 को पारित आदेश बहाल किया जाता है। हालाँकि, यहाँ उपर की गई टिप्पणियों का मुकदमें के दौरान मामले के गुण–दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

तद्नुसार आदेश दिया गया।

shweta kumari